राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 1(94)एम.ई./ग्रुप–1/87 जयपुर, दिनांक : 12/7/17

आदेश

डॉ. (श्रीमती) संगीता गुप्ता, वरिष्ठ आचार्य, फार्माकोलोजी, मेडिकल कॉलेज, कोटा के निवेदन एवं एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 11354/2016 डॉ. संगीता गुप्ता बनाम सरकार व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–3–2017 की अनुपालना में डॉ. (श्रीमती) गुप्ता के प्रार्थना पत्र दिनांक 23–6–2017 के क्रम में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम–50 के तहत डॉ. (श्रीमती) गुप्ता की दिनांक 01–8–2017 पूर्वाह्न से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. (श्रीमती) संगीता गुप्ता, वरिष्ठ आचार्य, फार्माकोलोजी, मेडिकल कॉलेज, कोटा के विरूद्ध आज तक :–

(1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।

आदेश से,
12/7/17
(भगवत सिंह)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, कोटा।
3. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, कोटा।
4. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा को उनके पत्रांक प. 2( )स्था.राज./2017/691–692 दिनांक 18.4.2017 एवं 1194 दिनांक 23.6.2017 के सन्दर्भ में।
5. डॉ. (श्रीमती) संगीता गुप्ता, वरिष्ठ आचार्य, फार्माकोलोजी, मेडिकल कॉलेज, कोटा।
6. वरिष्ठ विधि अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
सहायक शासन सचिव

SS Pers.Comp. RETIREMENT ORDER 34